



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 01.11.2020

1-थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियों के नाम पर जेल भिजवाने की धमकी देकर धोखाधड़ी से रूपये मांगने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10,000 रूपये व घटना मे प्रयुक्त होण्डा सिविक रजि0 नं0 डीएल3सीबीई-0976 बरामद।

दिनांक 31.10.2020 को वादी श्री राजवीर सिंह द्वारा थाने आकर अभियोग दर्ज कराया गया कि अभियुक्त अंकित द्विवेदी उच्चाधिकारियों के नाम से जेल भिजवाने की धमकी देकर प्रत्येक माह 40 हजार रूपये तथा एक ब्लेक लेवल शराब की बोतल ले लेता है, सूचना पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0-550/2020 धारा 386, 506 भादवि पंजीकृत कर दिनांक 31.10.2020 को समय 23.50 रात्रि में थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियों से जेल भिजवाने के नाम पर रूपये मांगने वाला अंकित द्विवेदी पुत्र अशोक दूबे निवासी मौ0 व्रतिया अस्पताल रोड छिबरामऊ कन्नौज हाल पता सी-8, सैक्टर-53 नोएडा गौतमबुद्धनगर को रेडीशन होटल सैक्टर-55 के पास सर्विस रोड से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 10,000 रूपये व घटना मे प्रयुक्त होण्डा सिविक रजि0 नं0 डीएल3सीबीई-0976 बरामद की गयी है।

अभियुक्त का विवरण-

अंकित द्विवेदी पुत्र अशोक दूबे निवासी मौ0 व्रतिया अस्पताल रोड छिबरामऊ कन्नौज हाल पता सी-8, सैक्टर-53, नोएडा गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-550/2020 धारा-386, 506, 420, 411 भादवि थाना सै0 58, नोएडा गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

1. घटना में प्रयुक्त एक होण्डा सिविक कार
2. 10000/- रूपये नकद
3. तीन पीली धातु की नगदार अंगूठी
4. एक सफेद धातु की नगदार अंगूठी
5. एक मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी की
6. एक हाथ की घड़ी राडो कम्पनी की



2- थाना सेक्टर 24 पुलिस द्वारा चोरी के ट्रको पर फर्जी नम्बर प्लेट डालकर बेचने वाले गैंग के 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 06 चोरी के ट्रक, 01 सेन्ट्रो कार, एक तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, फर्जी नम्बर गोदने के उपकरण तथा अन्य सामान बरामद।

दिनांक 01.11.20 को थाना सेक्टर 24 पुलिस द्वारा ट्रक चोरी कर, ट्रको को फर्जी रूप से पंजीकृत कराकर उन पर अवैध रूप से फर्जी इंजन नम्बर, चैसिस नम्बर, रजिस्टेशन नम्बर गोदने वाले चार अभि0 1. कल्लू उर्फ जुल्फिकार पुत्र इंतजार 02. राकेश कुमार पुत्र विजयपाल 03. रिजवान पुत्र इसलाम, 4. चन्दर पुत्र फूल सिंह को गैस गोदाम गोदाम सेक्टर 54 नोएडा की तरफ जाने वाले खरगोश पार्क की बाउण्ड्री वाल के पास से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी के 06 ट्रक, चोरी की 01 सेन्ट्रो कार, एक तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, फर्जी नम्बर गोदने के उपकरण तथा अन्य सामान बरामद किये गये है।

अभियुक्तो द्वारा विभिन्न जनपदो से ट्रक चोरी करके उन ट्रको को जिनके चोरी के अभियोग पंजीकृत कराये जाते है, उन गाडियो को सस्ते दामो मे खरीदकर उन गाडियो के इंजन नम्बर, चैसिस नम्बर,

हथौड़ी व सूमी आदि की मदद से बदलकर उन टूको की फर्जी आरसी तैयार करा किराये पर चलाते हैं। फर्जी आरसी अभियुक्तों को अभि० राकेश द्वारा दो से तीन लाख रुपये में उपलब्ध करायी जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. कल्लू उर्फ जुल्फिकार पुत्र इतजार निवासी ग्राम खिवाई थाना सररपुर जिला मेरठ
2. राकेश कुमार पुत्र विजयपाल निवासी नन्द बिहार त्यागी कालोनी थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर
3. रिजवान पुत्र इसलाम निवासी ग्राम खिवाई थाना सररपुर जिला मेरठ।
4. चन्दर पुत्र फूल सिंह निवासी हाउस न० 171 क्रिश्चियन नगर थाना विजयनगर जिला गाजियाबाद

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास का विवरण-

अभियुक्त कल्लू

1. मु०अ०स० 641/2020 धारा 411/414/420/467/468/471/482/34 भादवि थाना सेक्टर 24 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
2. ई एफआईआर न० 34077/2019 धारा 379/411 भादवि ओटो थेट पुलिस स्टेशन दिल्ली

अभियुक्त राकेश

1. मु०अ०स० 641/2020 धारा 411/414/420/467/468/471/482/34 भादवि थाना सेक्टर 24 गौतमबुद्धनगर।
2. ई एफआईआर न० 34077/2019 धारा 379/411 भादवि ओटो थेट पुलिस स्टेशन दिल्ली

अभियुक्त रिजवान

1. मु०अ०स० 641/2020 धारा 411/414/420/467/468/471/482/34 भादवि थाना सेक्टर 24 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
2. मु०अ०स० 0642/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सेक्टर 24 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
3. ई एफआईआर न० 34077/2019 धारा 379/411 भादवि ओटो थेट पुलिस स्टेशन दिल्ली

अभियुक्त चन्दर

1. मु०अ०स० 641/2020 धारा 411/414/420/467/468/471/482/34 भादवि थाना सेक्टर 24 नोएडा गौतमबुद्धनगर

2-ई एफआईआर न0 34077/2019 धारा 379/411 भादवि ओटो थेट पुलिस स्टेशन दिल्ली

बरामदगी का विवरण-

1. 06 चोरी के ट्रक
2. एक चोरी की सेन्ट्रो कार दिल्ली से चोरी
3. एक तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
4. फर्जी इंजन नम्बर व चैसिस न0 गोदने के उपकरण
5. फर्जी तीन आरसी व कागजात
6. फर्जी नम्बर प्लैट 06
7. 07 अदबनी नम्बर प्लैट



3-थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा फर्जी लोन कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुये 03 अभियुक्त

गिरफ्तार, कब्जे से तीन अदद मोबाईल फोन व 228 व्यक्तियों के बैंक लोन कागजात बरामद ।

दिनांक 31.10.2020 को वादी श्री धलवन्त सिंह राठौर द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया कि वह एचडीबी फाईनेन्सर लि० में रिजनल रिस्क कान्टेक्स मैनेजर के पद कार्यरत है। नरेश कुमार (सहकारी बैंक मोदीनगर गा०बाद) ने हमें अवगत कराया कि कुछ नये खाते खुले हैं जिसमें एचडीबी का लोन का पैसा आया है इनकी खातों में कुछ गडबड लग रही है, जो जांच से पाया कि जो लोन हुये हैं फर्जी कागजातों पर हुये हैं, उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये दिनांक 01.11.2020 को थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा फर्जी लोन कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुये 03 अभियुक्त 1.नीरज शर्मा पुत्र देवीराम शर्मा निवासी डी-30 बलराम नगर लोनी गाजियाबाद 2. दीपक कुमार पुत्र मोहनलाल निवासी 179, जाटवाडा थाना कोतवाली गाजियाबाद 3. अंकित त्यागी पुत्र देवेन्द्र त्यागी निवासी ग्राम अतराडा थाना खरखोदा मेरठ को लेकर चैक सैक्टर-58, नोएडा से गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त तीन मोबाईल फोन जिनमें खाता धारकों की ई-मेल आईडी व अन्य फर्जी दस्तावेज बरामद किये गये हैं।

अभियुक्तों का विवरण-

1. नीरज शर्मा पुत्र देवीराम शर्मा निवासी डी-30 बलराम नगर लोनी गाजियाबाद हाल पता ए-18 द्वितीय फ्लोर पारसनाथ पैराडाईज मोहननगर गाजियाबाद
2. दीपक कुमार पुत्र मोहनलाल निवासी 179, जाटवाडा थाना कोतवाली गाजियाबाद
3. अंकित त्यागी पुत्र देवेन्द्र त्यागी निवासी ग्राम अतराडा थाना खरखोदा मेरठ हाल पता ए-1013 एसजी इम्ब्रेशन 58 राजनगर एक्टेंशन गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं०-552/2020 धारा-420, 467, 468, 471, 34 भादवि थाना सै० 58, नोएडा

बरामदगी का विवरण-

1. तीन मोबाईल फोन जिनमें खाता धारकों की ई-मेल आईडी
2. 228 व्यक्तियों के बैंक लोन से संबंधित कागजात

4- थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा एटीएम से धोखाधड़ी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक कार वैगनार नम्बर डीएल 8 सीएनबी 1466 व कुल 3200 रुपये बरामद।

दिनांक 01.11.2020 को थाना फेस 3 नोएडा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त सलमान पुत्र आजाद निवासी ग्राम चिट्टा थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर को गढ़वा चौराहा से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त वैगनार कार बरामद की गयी तथा धोखाधड़ी कर एटीएम से निकाले गये 3200-रूपये बरामद किये गये है। अभियुक्त मौके से फरार अभियुक्तो इकबाल पुत्र इस्लाम व शाहरूख पुत्र जमील निवासीगण ग्राम चिट्टा थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर के साथ मिलकर एटीएम बूथ पर आये व्यक्तियो को झांसा देकर व धोखाधड़ी कर उनके एटीएम से पैसे निकाल लेता था।

अभियुक्त का विवरण-

सलमान पुत्र आजाद निवासी ग्राम चिट्टा थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 815/2020 धारा 420/411 भादवि थाना फेस-3 नोएडा गौतमबुद्धनगर

अभियुक्त सलमान का आपराधिक इतिहास-

1. 335/18 धारा 420 भादवि थाना गुलावठी जिला बुलन्दशहर
2. 443/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना खुर्जा नगर जिला बुलन्दशहर
3. 181/18 धारा 392 भादवि थाना स्याना जिला बुलन्दशहर
4. 320/17 धारा 147/148/323/332/353 भादवि व 31(ए) क्रिमिनल लॉ(अमेन्डमेन्ट) एक्ट 1934 थाना सलेमपुर जिला बुलन्दशहर
5. 246/18 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना सलेमपुर जिला बुलन्दशहर
6. 123/19 धारा 363/366 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट थाना सलेमपुर जिला बुलन्दशहर
7. 457/19 धारा 379/420 भादवि थाना गांधी पार्क जिला अलीगढ़
8. 996/19 धारा 420 भादवि थाना एत्माददौला जिला आगरा
9. 251/20 धारा 25/3 आयुध अधिनियम थाना सिम्भावली जनपद हापुड़
10. 255/20 धारा 420/465/468/471 भादवि थाना सिम्भावली जनपद हापुड़

बरामदगी का विवरण-

1. घटना में प्रयुक्त एक वैगनार कार नम्बर डीएल 8सीएनबी 1466
2. कुल 3200 रूपये

5- थाना दादरी पुलिस द्वारा 08 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 01.11.2020 को थाना दादरी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 749/2020 धारा 147/148/ 149 /323/336/354/354ख/504/506 भादवि0 मे वांछित 04 अभियुक्त 1.श्रीपाल पुत्र खुशहाल 2. जयवीर पुत्र सुखवीर 3. रविन्द्र पुत्र सुखवीर 4. रोहित कुमार उर्फ लाला पुत्र सुखवीर व मु0अ0सं0 750/2020 धारा 147/148/149/323/336/352/504/506 भादवि मे वांछित 04 अभियुक्त 1. सुरेन्द्र पाल सिंह पुत्र धर्म सिंह 2. प्रमोद पुत्र धर्मसिंह 3. मदन पाल पुत्र मंगल सिंह 4. विनोद पुत्र मदन पाल सिंह निवासीगण रामगढ़ थाना दादरी गौतमबुद्धनगर को उनके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का विवरण:

दिनांक 31.10.2020 को रात्रि में ग्राम चमरावली रामगढ़ में दोनों पक्षों में विवाद हुए था जिस पर दोनों पक्षों के विरुद्ध थाना दादरी पर अभियोग पंजीकृत किया गया था

अभियुक्तो का विवरण-

- 1.श्रीपाल पुत्र खुशहाल निवासी रामगढ़ थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
2. जयवीर पुत्र सुखवीर निवासी रामगढ़ थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
3. रविन्द्र पुत्र सुखवीर निवासी रामगढ़ थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
4. रोहित कुमार उर्फ लाला पुत्र सुखवीर निवासी रामगढ़ थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
5. सुरेन्द्र पाल सिंह पुत्र धर्म सिंह निवासी रामगढ़ थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
6. प्रमोद पुत्र धर्मसिंह निवासी रामगढ़ थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
7. मदन पाल पुत्र मंगल सिंह निवासी रामगढ़ थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
8. विनोद पुत्र मदन पाल सिंह निवासी रामगढ़ थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 749/2020 धारा 147/148/149/ 323/336/354/354ख/504/506 भादवि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 750/2020 धारा 147/148/149/323/336/352/504/506 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

प्रेस-विज्ञप्ति

सडक दुर्घटना तथा उनसे होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए एक अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी माह नवम्बर को 'यातायात माह' के रूप में मनाया जा रहा है। दिनांक 01.11.2020 को दीप प्रज्वलित कर यातायात माह का शुभारंभ करते हुए पुलिस कमिश्नर सैक्टर 108 गौतमबुद्धनगर के सभागार में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसे पुलिस उपायुक्त यातायात श्री गणेश प्रसाद साहा व अपर पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था श्री लव कुमार व आई.आर.टी.ई के निदेशक डा0 रोहित बलूजा व मुख्य अतिथि पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर, श्री आलोक सिंह के द्वारा सम्बोधित किया गया, जिसमें यातायात जागरूकता सम्बन्धी सम्बोधन के साथ साथ, पर्यावरण सुरक्षा सम्बन्धी बिन्दुओं पर चर्चा की गयी। इस अवसर पर नोएडा, सैन्ट्रल नोएडा, ग्रेटर नोएडा के पुलिस उपायुक्त व अपर पुलिस उपायुक्त तथा सहायक पुलिस आयुक्त उपस्थित रहे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के अनेको आर0डब्ल्यू0ए0, बस, ट्रक, आटो यूनियन, व्यापार मण्डल व एनजीओ के सम्मानित सदस्य सम्मिलित हुए। गोष्ठी के उपरान्त पुलिस आयुक्त, श्री आलोक सिंह, जनरल (रि0) श्री जे0पी0 सिंह, व अन्य सम्मानित सदस्यों द्वारा हरी झण्डी दिखाकर यातायात एवं पर्यावरण जागरूकता सन्देश देते हुए रैली को रवाना किया गया। यातायात रैली में यातायात पुलिस के कर्मचारी, मार्शल मोटर साइकिल, मिशन शक्ति की स्कूटी पर महिल आरक्षी व प्रदूषण रहित इलैक्ट्रानिक व एल0ई0डी0 युक्त प्रचार वाहनों ने प्रतिभाग किया। जागरूकता सन्देश रैली सैक्टर 108 से प्रारम्भ होकर सैक्टर 105, हाजीपुर, सैक्टर 100,107,47,46,45, छलैरा सैक्टर 18, ग्राम अट्टा, नयाबांस, सैक्टर 15 होकर सैक्टर 14ए पुलिस कन्ट्रोल रूम में समाप्त हुई।

माह नवम्बर में यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राओं, कम्पनी के कर्मचारी तथा चौराहों पर आटो, ई-रिक्शा चालक, बसों, ट्रकों, ट्रैक्टर, स्कूली बसों के ड्राइवर्स को अभियान चलाकर प्रशिक्षित किया जायेगा तथा प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा जागरूक किया जायेगा।

